ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोएडा,
जनपद- गौतम बुद्ध नगर।

सेवा में,

पत्रांक: 274/भूलेख-लीज/2015
दिनांक 18/06/2015

सर्व श्री दिनेश कुमार, देवेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण सलेगचन्द,
निवासी ग्राम-इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर
तहसील-दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।

महोदय,

विषयः - लीज (पट्टा प्रलेख) के संबंध में।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर में सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु खसरा सं0 346 क्षेत्रफल 1.2350 हेक्टेआर स्थित ग्राम -इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर, तहसील-दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर अर्जित की जाकर कब्जा प्राधिकरण को अन्तरित किया गया है। शासन के आदेश संख्या 1216/77-3-10-164अर्जन/09, दिनांक 24 अप्रैल, 2010/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल(प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण)विनियमावली, 2011 यथा संशोधित में दी गयी व्यवस्था के अधीन, आपको खसरा सं0 346 क्षेत्रफल 1.2350 में से वह न्यूनतम क्षेत्रफल जो विद्यालय की स्थापना व मान्यता के लिए आवश्यक हो, भूमि को लीज़/शिफटिंग द्वारा पट्टे पर दिये जाने का निर्णय ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 101 वीं बोर्ड बैठक के अनु0 मद सं0 6 के क्रमांक 13 पर लिया गया है। कृपया निम्न कार्यवाही पूर्ण करते हुये इस पत्र की प्राप्ति से एक माह के अन्दर अपने पक्ष में पट्टा प्रलेख की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें-

1. प्राधिकरण द्वारा अर्जित समस्त भूमि जिसमें खसरा सं0 346 क्षेत्रफल 1.2350 हेक्टेआर, स्थित ग्राम-इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर, तहसील-दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर सम्मिलित है, में अपने अंश का पूर्ण प्रतिकर, अतिरिक्त प्रतिकर सहित, यदि देय है, आप द्वारा नियमानुसार अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) से प्राप्त किया जाऐगा।
2. शेष भूमि से अतिक्रमण/कब्जा(यदि कोई है) को हटाकर अतिक्रमण/कब्जा न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
3. आबादी विनियमितिकरण/आबादी व्यवस्थापन हेतु अनुमोदित क्षेत्रफल के सापेक्ष प्राप्त प्रतिकर व अतिरिक्त प्रतिकर(यदि कोई हो) व 1 रूपया एक मुश्त लीज रेन्ट को बैंक ड्राफ्ट ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गामा-2, ग्रेटर नोएडा में जमा किया जायेगा।
   (आपकी सुविधा के लिये यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि प्रतिकर व अतिरिक्त प्रतिकर(यदि देय है) प्राप्त करने की औपचारिकतायें अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) कार्यालय में पूर्ण करते हुये पट्टा वापसी हेतु वांछित धनराशि को सीधे प्राधिकरण को भेजने का अनुरोध भी कर सकते है।)
4. प्रतिकर एवं अतिरिक्त प्रतिकर(यदि देय हो) प्राप्त करने का नकशा-11 की प्रमाणित प्रति व प्रमाण पत्र।
5. 100 रूपये का स्टाम्प पत्र।
6. खतौनी की प्रमाणित प्रति जिसमें आवेदक का नाम हो एवं वर्तमान प्रतिलिपि खतौनी।
7. फोटो युक्त पहचान पत्र यथा पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र/शस्त्र लाईसेन्स/पासपोर्ट आदि।
8. 4-4 फोटो स्वयं के तथा गवाह के(पंजीकरण के समय)।
9. रजिस्ट्रेशन शुल्क(सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा होगा)।
10. तथ्यों को छिपाकर अथवा विधि प्रतिकूल पट्टे की कार्यवाही पर पट्टा प्रलेख स्वयं निरस्त समझा जायेगा।
11. यदि आप निर्धारित एक माह की अवधि में पट्टा प्रलेख की कार्यवाही कराने में असमर्थ रहते है तो यह समझे जाने का पर्याप्त आधार है कि आप व्यवस्थापित भूमि की वापसी में अभिरूचि नही रखते है। तदनुसार पट्टा प्रलेख की कार्यवाही निरस्त करते हुये अर्जित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. इस संदर्भ में पूर्व में जारी पत्र, यदि कोई है, निरस्त समझा जाय।

उपरोक्त अभिलेखों को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के भूलेख विभाग में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
नामनिर्दिष्ट/सक्षम अधिकारी

Manager
M.H. Public School
Badalpur (G.B.Nagar)

PRINCIPAL
M.H. PUBLIC SCHOOL
BADALPUR (G.B. NAGAR)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोएडा,
जनपद- गौतम बुद्ध नगर।

प्रेषक

पत्रांक:- 677 /भूलेख/भू0प0/2014
दिनांक:- 05 / 08 /2014

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:- ग्राम इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर में एम0एच0 पब्लिक स्कूल व एम0एच0 पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्राम इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर स्थित खसरा संख्या 346 क्षेत्रफल 1.2350 है0 को अर्जन मुक्त किये जाने हेतु श्री देवेन्द्र कुमार व दिनेश कुमार व मुकेश कुमार पुत्रगण स्व0 श्री सलेकचन्द निवासी ग्राम इबादुल्लापु उर्फ बादलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें अपेक्षित है-

1- ग्राम इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर में एम0एच0 पब्लिक स्कूल व एम0एच0 पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त है अथवा नही ?

2- उक्त विद्यालय के संचालक, संस्थापक कौन है ?

3- उक्त विद्यालय की मान्यता हेतु कितना भूखण्ड हेतु अनुरोध किया गया है ?

4- विद्यालय हेतु न्यूनतम भूमि की कितनी आवश्यकता होती है ?

5- उक्त विद्यालय कब से क्रियाशील है तथा वर्तमान में क्रियाशील है अथवा नही ?

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

Manager
M.H. Public School
Badalpur (G.B.Nagar)

भवदीय,

(हरीश कुमार वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PRINCIPAL
M.H. PUBLIC SCHOOL
BADALPUR (G.B. NAGAR)